फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

रामनारायण पुत्र लक्ष्मण मीणा निवारी ईटुंदा

बनाम

रामलाल पिता हजारी मीणा निवारी ईटुंदा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए. मुकदमा नंबर 228 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
01-05-24	प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम ईटुंदा प.ह. ईटुंदा आराजी सं. 440, 441, 481, 483/2, 486/1 कुल किता 05 रकबा 1.1979 हेक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजीं के पड़ौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है। ग्राम ईटुंदा प.ह. ईटुंदा आराजी सं. 440, 441, 481, 483/2, 486/1 कुल किता 05 रकबा 1.1979 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक लुहारीकला को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रूपये राजकोष में जमा करावे। **पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें।** पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। **तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है।** पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। आदेश आज दिनांक 01/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर (शाहपुरा)	

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/पत्रावली 2024/228/2024 दिनांक- 01/05/2024

निर्देश-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.स. 228 / 2024 अन्तर्गत रामनारायण पुत्र कल्याण मीणा निवासी ईंटूंदा बनाम रामलाल पिता हजारी मीणा निवासी ईंटूंदा, मोतीलाल पिता कल्याण मीणा निवासी ईंटूंदा, मानमल बेटा भूरा बलाई निवासी ईंटूंदा, नाथूलाल पुत्र रामा बलाई निवासी ईंटूंदा, रामलाल पुत्र हजारी मीणा निवासी ईंटूंदा, रामा पुत्र छोटू मीणा निवासी ईंटूंदा, रामकुंवार पुत्र छोटू मीणा निवासी ईंटूंदा, किशनलाल पुत्र बाबूलाल बलाई निवासी ईंटूंदा, तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण के प्रकरण में ग्राम ईंटूंदा प.ह. ईंटूंदा आराजी न. 441, 441, 481, 4232, 4881 कुल किता 05 रकबा 1.1979 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक कुलीकला को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगण को उचित नोटिस / समन तामील कर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिए जाते है। पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर जिला शाहपुरा

Scanned with OKEN Scanner